प्रकरण सं0

श्री.................................... बनाम श्री....................................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहक… हुक्म … में …
	24/12/24 पत्रावली पेश हुयी उपरोक्त मितसीन अधिकारी … अवकाश … 21/1/25 पेश हो। … रीडर	
8/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी का प्रा० पत्र 111;-128 LR Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रा०। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़ (राज.)	

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 159 / 2024

उनवान

1. हेमा पुत्र तुलछा गाडरी निवासी बिलियाकलां तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा।

--प्रार्थी

बनाम

1. श्री भवाना पुत्र नारायण गाडरी निवासी बिलियाकलां तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा।
2. श्रीमती चतरू पत्नी स्व. बालू पिता नारायण गाडरी निवासी बिलियाकलां तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. श्रीमती उदी देवी पत्नी स्व. रतन लाल पिता बालू पुत्र नारायण गाडरी निवासी बिलियाकलां तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा।
4. श्री गोपाल पुत्र स्व. भगवान पिता तुलछा गाडरी निवासी बिलियाकलां तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा।
5. श्री गोपाल दत्तक पुत्र उदा प्रजापत (कुम्हार) निवासी बिलियाकलां तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा।
6. श्री देवी लाल पुत्र बालू प्रजापत (कुम्हार) निवासी बिलियाकलां तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा।
7. श्री लालू पुत्र भैरू प्रजापत (कुम्हार) निवासी बिलियाकलां तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा।
8. श्रीमती गंगा पत्नी हजारी गाडरी निवासी बिलियाकलां तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा।
9. श्री शंकर पुत्र हजारी गाडरी निवासी बिलियाकलां तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।(राज.)

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 02–01–2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भूँ–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 22–11–2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम बिलियाकलां प0ह0 बिलियाकलां भू0अ0नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा की खाता संख्या 443 की आ.न. 325 रकबा 0.1644 है0, आ.न. 330 रकबा 0.2656 है0, कुल किता 02 रकबा 0.4300 है0, भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **25.11.2024** को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या **01 लगायत 09** बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का

Scanned with CamScanner

अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम बिलियाकलां प0ह0 बिलियाकलां भू0अ0नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा की खाता संख्या 443 की आ.न. 325 रकबा 0.1644 है0, आ.न. 330 रकबा 0.2656 है0, कुल किता 02 रकबा 0.4300 है0, भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/–पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 02.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

Scanned with CamScanner